



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 24.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- ❖ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त को अवैध तमंचा व चोरी के मोबाइल फोन के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस व चोरी के मोबाइल फोन बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के संग्रहण, बिक्री व निर्माण करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 23.01.2025 की शाम को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मोहल्ला लड़ाका पुरवा खाईपार पुलिया का पास से अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत है। बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मोबाइल फोन (चोरी का)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सत्यम उर्फ सतेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामभजन यादव निवासी ग्राम जाखी थाना कमासिन जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 694/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

अपराधिक इतिहास सत्यम उर्फ सतेन्द्र -

मु0अ0सं0 687/25 धारा 304 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार मिश्र
2. कां0 अवनीश कुमार
3. कां0 युनूस